न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 39/2017

श्री जगदीशसिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह, निवासी ग्राम चकवी, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर।

.....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री हनुमान सिंह पुत्र श्री सुजान सिंह, जाति राव निवासी ग्राम चकवी, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़

.....रेस्पोन्डेन्टस

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

———

उपस्थित :– 1– श्री राकेश अरोड़ा, वकील प्रार्थी की ओर से
2– श्री हेमराज राठौड़, राजकीय अभिभाषक

–: आदेश :–

दिनांक–23.10.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 24.05.1989 को उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर श्री हनुमान सिंह पुत्र श्री सुजान सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम चकवी तहसील सरवाड़ जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम चकवी के आराजी खसरा नम्बर 29/5 रकबा 00–13–00 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हुए विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए आवंटन निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 1 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका

अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

कथन है कि आवंटन अधिकारी द्वारा वरवक्त आवंटन कब्जे के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की मौके की जांच नहीं करवाई गई एवं न ही राजस्व अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई। केवलमात्र कागजी कार्यवाही करते हुए आवंटन नियमों की पालना किये बिना विवादित भूमि का आवंटन आदेश पारित कर दिया गया है जो प्रथम दृष्टया ही नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। उनका आगे कथन है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी का गत 30 वर्षों से भी अधिक समय से निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। विवादित भूमि वरवक्त आवंटन रिक्त नहीं थी बल्कि प्रार्थी का कब्जा काश्त था जो खसरा परिवर्तनशील संवत् 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 व 2031 से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के नियमन की पात्रता रखता है।

वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित भूमि के आवंटन से पूर्व नियमों के अनुसरण में उद्घोषणा जारी नहीं की गई तथा न ही स्थाई निवासियों एवं काबिज काश्तकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। केवल आवंटन अधिकारी द्वारा नीहित शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए आवंटन आदेश पारित किया गया है। उन्होने आगे कथन किया कि आवंटियों को आवंटन आदेश की दिनांक से कभी भी कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अवैधानिक रूप से दिनांक 04.03.1992 को गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 22 स्वीकृत किया गया है किन्तु मौके पर कब्जा नहीं होने से आज दिनांक तक खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये हैं। विवादित आराजी पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होने से प्रार्थी को बेदखल किये बिना आवंटन की कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत नहीं है। वकील प्रार्थी का आगे कथन है कि आवंटन नियमों की पालना में आवंटित आराजी को प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत एवं शेष आराजी को द्वितीय वर्ष में सिंचित किया जाना आवश्यक है किन्तु अप्रार्थी को न तो वादग्रस्त आराजी का कभी भी कब्जा ही सुपुर्द किया गया एवं न ही अप्रार्थी द्वारा कब्जा लिया गया। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिक रूप से पूर्ण जांच पश्चात आवंटन नियमों के परिपेक्ष्य में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। उनका कथन है कि आवंटन से पूर्व सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की गई है। आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण होने पर नियमानुसार प्रार्थना पत्र आमंत्रित कर जांच पश्चात भूमि का आवंटन किया गया है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि पर उनका पुश्तैनी कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। विवादित भूमि का अप्रार्थी के पक्ष में वर्ष 1989 में आवंटन किया गया था। लगभग 30 वर्ष की अवधि के पश्चात अप्रार्थी के पक्ष में किए गए विवादित भूमि के आवंटन को केवलमात्र इस आधार पर निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है कि विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा एवं काबिज काश्त है। हालांकि नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्त करने हेतु कोई समय सीमा

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

निर्धारित नहीं है किन्तु केवल मात्र ऐसे आवंटन को निरस्त करवाया जा सकता है जो छल, कपटपूर्वक तथा तथ्यों को छिपा कर करवाया गया हो। प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि आवंटी द्वारा विवादित भूमि का आवंटन छल कपटपूर्वक करवाया गया हो।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक **23.10.2019** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,अजमेर

Scanned by CamScanner